रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23092025-266309
CG-MH-E-23092025-266309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947
No. 639] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 18 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/267.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने पूरे होने पर लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, -

I. विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों "आवेदक के पास अभिरक्षक के रूप में अपने क्रियाकलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त कार्यालय-स्थान, प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कक्ष और कंप्यूटर प्रणाली सामर्थ्य सहित अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आवेदक के पास अभिरक्षक (कस्टोडियन) के तौर पर सही ढंग से अपना कामकाज

करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे कि कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थान, कागज़ी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सुरक्षित रखने के लिए वॉल्ट और पर्याप्त क्षमता वाले कंप्यूटर" आ जाएँगे ।

II. विनियम 7 में, -

i. उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "उप विनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पूंजी अपेक्षा न्यूनतम रु. पचास करोड़ शुद्ध मालियत की होगी" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "उप-विनियम (1) के खंड (क) में जिस पूँजी संबंधी अपेक्षा का जिक्र किया गया है, उसके बारे में यह माना जाएगा कि शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये की हो" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्, -

"परंतु यह कि अभिरक्षक (कस्टोडियन) इन विनियमों में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के संबंध में बताई गई अपेक्षाएँ तो पूरी करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके द्वारा जो भी कार्य आदि किए जाएँ उनके संबंध में विनियमों में जितना-जितना भी पैसा रखने का प्रावधान किया गया हो उतना-उतना पैसा भी वह अलग से रखेगा [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेसी) के संबंध में जो भी अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हों, वे अपेक्षाएँ भी वह अलग से पूरी करेगा]:

परंतु यह और कि जिस अभिरक्षक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ हो, वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर, अपनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) को बढ़ाकर कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके द्वारा जो भी कार्य आदि किए जाएँ उनके संबंध में विनियमों में जितना-जितना भी पैसा रखने का प्रावधान किया गया हो उतना-उतना पैसा भी वह अलग से रखेगा [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेसी) के संबंध में जो भी अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हों, वे अपेक्षाएँ भी वह अलग से पूरी करेगा] ।"

III. विनियम 9 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(च) अभिरक्षक सेवाएँ (कस्टोडियल सर्विसेज) प्रदान करने के अलावा, वह वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित कोई भी कार्य कर सकेगा:

परंतु यह कि जो अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949) में दी हुई परिभाषा के अनुसार बैंकिंग कंपनी (बैंककारी कंपनी) न हो या फिर उस बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) / का सहयोगी (असोसिएट) / का संयुक्त उद्यम (जॉइन्ट वेंचर) न हो, वह ऐसी वित्तीय सेवाएँ बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार प्रदान कर सकेगा ।"

IV. विनियम 13 में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि खंड (i) एवं (ii) के प्रावधान अभिरक्षक (कस्टोडियन) के मामले में लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए ।"

V. विनियम 19क के बाद और विनियम 20 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"**बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ**

19ख. अभिरक्षकों (कस्टोडियन) को बाध्यताएँ उसी प्रकार पूरी करनी होंगी और जिम्मेदारियाँ उसी प्रकार निभानी होंगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके यहाँ:

(1) संचालन (गवर्नेंस) की उपयुक्त व्यवस्था और प्रक्रियाएँ हों;

(2) जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) के संबंध में उपयुक्त नीति और प्रक्रियाएँ हों;

(3) पर्याप्त क्षमता वाला बुनियादी ढाँचा हो और पर्याप्त तकनीक हो;

(4) सुव्यवस्थित तरीके से बंद करने (वाइंडिंग डाउन करने) का ढाँचा हो; और

(5) ऐसे दूसरे कदम उठाए जाएँ, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"

VI. तीसरी अनुसूची में, खंड-11 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"12. अभिरक्षक (कस्टोडियन) अधिनियम, नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन) के उन प्रावधानों का और बोर्ड तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी जाने वाले परिपत्रों (सर्कुलर) और निदेशों का पालन करेगा, जो कस्टोडियन पर लागू हों । अभिरक्षक निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन (समाशोधन निगमों) के उन बाय-लॉज़ (उप-विधियों), नियमों और विनियमों का भी पालन करेगा, जो अभिरक्षक पर लागू हों ।

13. कस्टोडियन ऐसी किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होगा, जिससे दूसरे कस्टोडियन या ग्राहकों के हितों को नुकसान हो सकता हो या फिर कोई कार्य आदि अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य आदि करते समय वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो ऐसे दूसरे कस्टोडियन के लिए अहितकर हो ।

14. कस्टोडियन कुछ सेवाएँ दिए जाने के संबंध में अपनी योग्यता (अर्हता) या अपनी क्षमता के बारे में अथवा दूसरे ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों के बारे में, ग्राहकों को, न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित में, बढ़ाचढ़ाकर बताएगा ।

15. कस्टोडियन बोर्ड के पास प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या किसी जानकारी में न तो किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी करेगा और न ही कोई अहम तथ्य छिपाएगा ।

16. कस्टोडियन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ अच्छी कारपोरेट नीतियाँ अपनाई जाएँ और कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) की अच्छी व्यवस्था हो ।

17. कस्टोडियन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि -

क) ग्राहक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उचित जवाब दिया जाए ।

ख) ग्राहक की शिकायतों का समय पर और सही ढंग से निवारण किया जाए।

ग) यदि शिकायत का निवारण तुरंत न किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में ग्राहक को यह जानकारी दी जाए कि ऐसे में विनियामक (रेग्यूलेटरी) व्यवस्था के तहत ग्राहक के पास क्या विकल्प है और वह आगे क्या कदम उठा सकता है ।

18. कस्टोडियन के यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की व्यवस्थाएँ हों और साथ ही उसके पास पर्याप्त वित्तीय क्षमता हो और कामकाज करने संबंधी (ऑपरेशनल) क्षमता हो, जो उसके कामकाज, उसके ग्राहकों, तथा अन्य रजिस्टर एंटिटियों को चोरी, धोखाधड़ी और बेईमानी से किए जाने वाले दूसरे गलत कारनामों, जिम्मेदार लोगों के गलत कार्यों या उनकी भूलचूक की वजह से हो सकने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हो ।

19. कस्टोडियन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निदेशक और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति हमेशा तय मानदंडों के मुताबिक "उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति" बने रहें ।

20. जब कभी अपेक्षित हो, कस्टोडियन बोर्ड को सहयोग प्रदान करेगा ।

21. कस्टोडियन ऐसी बहियाँ, दस्तावेज और कागज़ात या उनका कोई हिस्सा बोर्ड या दूसरी एजेंसियों (जिनके यहाँ वह रजिस्टर हो) के पास प्रस्तुत करने में लापरवाही नहीं बरतेगा या प्रस्तुत करने में असफल नहीं होगा या प्रस्तुत करने से इनकार नहीं करेगा, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर कहा जाए।

22. कस्टोडियन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कानूनी प्रावधान, नियम, विनियम (रेग्यूलेशन) का और बोर्ड या किसी दूसरे विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) के निदेशों का उल्लंघन किए जाने या उनका पालन न किए जाने की वजह से यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही आदि शुरू की जाती है, तो वह उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देगा ।

23. कस्टोडियन के कर्मचारियों ने और उसके एजेंटों ने उसके कारोबार के संचालन के संबंध में जो कुछ भी किया हो या करने में जो भी चूक की हो, उसके लिए वह जिम्मेदार रहेगा ।

24. कस्टोडियन अपने ग्राहकों के हितों का संरक्षण करने का हर प्रयास करेगा और अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य करेगा।

25. कस्टोडियन अपने अनुपालन अधिकारी (कंपलायन्स ऑफिसर) को पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ प्रदान करेगा, ताकि वह अपने कर्तव्य कारगर ढंग से निभा सके ।

26. कस्टोडियन यह सुनिश्चित करेगा कि वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (खास तौर पर निर्णय लेने वालों) को कारोबार से जुड़ी हर जरूरी जानकारी समय पर मिले ।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन -III/4/असा./372/25-26]

पाद टिप्पण :

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम सं. का.आ. 344(अ), द्वारा 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात्–

(i) 4 दिसम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. का.आ. 851(अ), द्वारा

(ii) 17 अक्तूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 732(अ), द्वारा

(iii) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 17(अ), द्वारा

(iv) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा

(v) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(vi) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(vii) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ.सं. 398(अ), द्वारा

(viii) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 39(अ), द्वारा

(ix) 31 अक्तूबर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1860(अ), द्वारा

(x) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

(xi) 4 जुलाई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775, द्वारा

(xii) 19 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा

(xiii) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा

(xiv) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम 2014, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(xv) 6 मार्च 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च 2017 को अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित), द्वारा

(xvi) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा

(xvii) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(xviii) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(xix) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/81, द्वारा

(xx) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएएन/2023/115, द्वारा

(xxi) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(xxii) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(xxiii) 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा

(xxiv) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2025/267.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, namely –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force upon the completion of six months from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, –

I. In regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (b), after the words "safe custody of" and before the words "securities and computer", the word "physical" shall be inserted.

II. In regulation 7, -

i. in sub-regulation (1), the word "fifty" shall be substituted with the word "seventy-five";

ii. after sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely, -

"Provided that the custodian shall fulfill the net worth requirements under these regulations, separately and independently, of the capital adequacy requirements, if any, for each activity undertaken by it under the relevant regulations.

Provided further that a custodian, who was granted a certificate of registration prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025, shall, within three years from such commencement, raise its net worth to not less than seventy-five crore rupees, separately and independently, of the capital adequacy requirements, if any, for each activity undertaken by it under the relevant regulations."

III. In regulation 9, clause (f) shall be substituted with the following, namely, -

"(f) besides providing custodial services, it may carry on any activity relating to rendering of financial services;

Provided that a custodian who is not a banking company as defined under the Banking Regulations Act, 1949 or a subsidiary/associate/joint venture of such banking company may render such financial services subject to conditions as may be specified by the Board."

IV. In regulation 13, after clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that the provisions of clause (i) and (ii) shall, subject to such conditions as may be specified by the Board, not apply to a Custodian."

V. After regulation 19A and prior to regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely, -

"Obligations and responsibilities.
19B. The custodian shall be required to meet obligations and discharge responsibilities, in the manner specified by the Board from time to time, to ensure:
(1) appropriate governance structure and processes;
(2) appropriate risk management policy and processes;
(3) scalable infrastructure and appropriate technical capacity;
(4) framework for orderly winding down; and
(5) any other measure as may be specified by the Board from time to time."

VI. In the Third Schedule, after clause 11, the following clauses shall be inserted, namely, -

"12. The custodian shall abide by the provisions of the Act, rules, regulations, circulars and directions issued by the Board and the Reserve Bank of India from time to time, as may be applicable to a custodian. The custodian shall also comply with bye-laws, rules and regulations of Depositories and Clearing Corporation as may be applicable to a custodian.

13. The custodian shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other custodians or clients or is likely to place such other custodians in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

14. The custodian shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the clients either about its qualifications or capability to render certain services or about its achievements in regard to services rendered to other clients.

15. The custodian shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.

16. The custodian shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.

17. The custodian shall endeavour to ensure that—
a) inquiries from client are adequately dealt with.
b) grievances of client are redressed in a timely and appropriate manner.
c) where a complaint is not remedied promptly, the client is advised of any further steps which may be available to the client under the regulatory system.

18. The custodian shall have internal control procedures as well as financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

19. The custodian shall ensure that all its Directors and key management personnel are fit and proper persons at all times.

20. The custodian shall co-operate with the Board as and when required.

21. The custodian shall not neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence, and papers or any part thereof as may be demanded/requested from time to time.

22. The custodian shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings, etc., initiated against it in respect of material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.

23. The custodian shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect of the conduct of its business.

24. The custodian shall make all efforts to protect the interests of its clients and shall act in the best interest of its clients.

25. The custodian shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of his duties.

26. The custodian shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis."

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./372/25-26]

Footnote:

(1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 vide S.O. No. 344 (E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations,1996 were subsequently amended –

(i) On December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No .851(E).

(ii) On October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 732 (E).

(iii) On January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O.No.17(E).

(iv) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O.No.278(E)

(v) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O.No.476(E).

(vi) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O.No.1045(E).

(vii) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O.No.398(E).

(viii) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No.39(E).

(ix) On October 31, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O.1860(E).

(x) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F.No. 11/LC/GN/2008/21669.

(xi) On July4, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008 vide No. 11/LC/GN/15/2008/130775.

(xii) On June19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Issuance of Indian Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/10/166936.

(xiii) On June29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/200910/11/167759.

(xiv) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/03/1089

(xv) On March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.

(xvi) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.

(xvii) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(xviii) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(xix) On April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/81.

(xx) On January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

(xxi) On February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(xxii) On July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

(xxiii) On November 28, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2024/212.

(xxiv) On February 10, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2025/228.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.23 15:53:04 +05'30'